

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक.....C/ 1923...../

जबलपुर, दिनांक 12/04/2018

IV-12-14/80 Pt- VII-N

श्रीमती शाम बाई परते, सहायक ग्रेड-तीन, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को प्राप्त होने वाला गृह भाड़ा भत्ता दिनांक 29/05/2017 से बंद किया जाता है।

सही/—

(सतीश चन्द्र राय)
रजिस्ट्रार (प्रशा.)

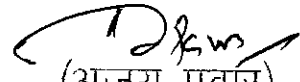
क्रमांकC/ 1924...../

जबलपुर, दिनांक 12/04/2018

IV-12-14 80 Pt- VII-N

प्रतिलिपि :-

1. रजिस्ट्रार (आई.टी.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर आदेश उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु.
2. असि. रजिस्ट्रार (स्थापना), उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर,
3. अनुभाग अधिकारी लेखा/पेंशन, उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर,
4. सहायक वेतन पत्रक, उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर को इस निर्देश के साथ की कटौती की जाने वाली राशि को वेतन से मासिक समान किशतों में काटा जावे।
5. सहायक अवकाश/सेवापुस्तिका, उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर,
6. दो अतिरिक्त प्रति ऑफिस टायपिस्ट, उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर,
7. श्रीमती शाम बाई परते, सहायक ग्रेड-तीन, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


(अजय पवार)

ज्वाइंट रजिस्ट्रार (प्रोटोकॉल)